न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः— 44 / 2022 दर्ज दिनांक 06.04.2022

जी सी एम एस न0 2022 / 323 निर्णय दिनांक 23.06.2022

रतनसिह पुत्र विशाल सिह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 23.06.2022**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा की सरहद में स्थित भुमि खाता संख्या नया 67 रकबा 1.59 है0 भूमि अवस्थित है में प्रार्थी का हिस्सा 1/48 है । उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रिसाल सिह पुत्र रेवतसिंह दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है तथा प्रार्थी के पिता का उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे बैंक खाता , आधार कार्ड , चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में विशालसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत दर्जे है जो प्रार्थी के पिता का सही नाम है। इस कारण उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रिसालसिह पुत्र रेवतसिह जाति राजूपत निवासी इन्द्रपुरा के बजाय विशालसिह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत दर्ज करवाना आवश्यक होने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 67 रकबा 1.59 है0 के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम रिसालसिह पुत्र रेवतसिंह की बजाय विशालसिह पुत्र रेवतसिंह दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी को फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

अनावेदक तहसीलदार उदयपुरवाटी ने जबाब आदेशिका पर दिया तथा जबाब में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा बताया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताय तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश किया है कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा के वर्तमान भूमि खाता संख्या नया 67 रकबा 1.59 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रसालसिह पुत्र रेवन्तसिह दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड ,राशनकार्ड, वोटर कार्ड , राशनकार्ड, पेनकार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम विशाल सिंह पुत्र रेवत सिह जाति राजपूत दर्ज है

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रिसालसिंह पुत्र रेवतसिह दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम विशालसिंह पुत्र रेवतसिंह है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड , बैक पास बुक आदि में भी प्रार्थी के पिता का नाम विशालसिंह है। प्रार्थी ने साक्ष्य का शपथ पत्र भी पेश कर निवेदन किया। अतः ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 67 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रिसालसिंह पुत्र रेवतसिंह बजाय विशालसिंह पुत्र रेवतसिंह शुद्व/दुरस्त किया जाने आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम इन्द्रपरु पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 67 रकबा 1.59 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रिसालसिंह पुत्र रेवतसिह दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेज दस्तावेजों आधार कार्ड, बैक पास बुक भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान , सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा के प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम विशालसिंह पुत्र रेवतसिंह है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि रिसालसिंह पुत्र रेवतसिंह व विशालसिह पुत्र रेवतसिंह दो अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति है ।इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh
Rajawat
Date: 2023.05.16 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा है। अतः ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 67 रकबा 1.59 है0 में प्रार्थी के पिता के हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम रिसालसिह पुत्र रेवतसिंह की बजाय विशालसिंह पुत्र रेवतसिंह दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

23/6/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/6/22

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested